

# कार्यालय जिला पंचायत, गाजीपुर।

## आवश्यक सूचना

जिला पंचायत, गाजीपुर के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 28.10.2014 को आमंत्रित बसावट से सम्बन्धित 16 अद्द कार्यों के टेण्डर अपरिहार्य कारणों से मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत गाजीपुर के आदेश दिनांक 28.10.2014 के क्रम में स्थगित कर दिये गये हैं। अब उक्त टेण्डर दिनांक 11.11.2014 को आमंत्रित किये जाते हैं। टेण्डर फार्म कर बिक्री दिनांक 11.11.2014 को 10.00 बजे दिन से 2.00 बजे दिन तक जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय में की जायेगी। टेण्डर उसी दिन 4.00 बजे के पश्चात ठेकेदारों के समक्ष खोले जायेंगे। अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी, जिनकी जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में की जा सकती है।

(एस0पी0दूबे)  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, गाजीपुर।

पृ0स0: 1004 / मेला / जि0पं0गा0 / 2014-15

दिनांक: 28-10-14

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष जिला पंचायत, गाजीपुर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, गाजीपुर को सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को सूचनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर को सूचनार्थ।
5. लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर को सूचनार्थ।
6. नगर पालिका परिषद, गाजीपुर को सूचनार्थ।
7. वित्तीय परामर्श दाता जिला पंचायत, गाजीपुर को सूचनार्थ।
8. रोकडिया जिला पंचायत, गाजीपुर।
9. एन0आइ0सी0 गाजीपुर को अपनी वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
10. दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" को इस आषय से कि अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में उक्त को प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

28/10/14  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, गाजीपुर।





## टेण्डर दन क लिए ठीकेदार का हदायत

1. टेण्डर फार्म पर कालम 4 के इकाई के अनुरूप ही रेट कालम 5 एवं 6 में भरा जायेगा तथा जो भी रेट होगा उसी इकाई पर मान्य होगा।
2. टेण्डर फार्म भरते समय ओभरराइटिंग मान्य नहीं होगा यदि ओभरराइटिंग हो जाये तो काटकर पुनः उपर रेट लिखा जाना चाहिए तथा कटिंग पर ठीकेदार हस्ताक्षर कर दें यदि ऐसा नहीं करेगा तो टेण्डर खोलने वाले अधिकारी अपने हाथ से कटिंग का रेट लिखकर हस्ताक्षर कर देंगे।
3. टेण्डर सूचना के अनुसार सील्ड बाक्स में टेण्डर समय से दें। बाक्स बन्द कर देने के बाद कोई भी टेण्डर मान्य नहीं होगा।
4. टेण्डर उपस्थित ठीकेदारों के समक्ष खोला जायेगा। यदि कोई ठीकेदार नहीं भी रहेगा तो टेण्डर अधिकारीगण खोल सकते हैं।

ठीकेदार का हस्ताक्षर

## ठीके की शर्तें

1. ठीका स्वीकृत की सूचना जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा पूर्ण कर देंगे। तथा जमानत जप्त कर देंगे यदि ऐसा न करेंगे तो जिला पंचायत की अधिकार होगा कि अनेष्टमनी जप्त कर लें तथा काम अन्य माध्यम से करा लें।
2. नक्शा एवं स्टीमेट मैनें देख लिया है।
3. अनुबन्ध पत्र भरने के बाद ही काम शुरू करेंगे तथा निर्धारित समय के अन्दर ही काम पूरा करेंगे।
4. मेरे दिये गये पते पर नोटिस भेजने पर तथा जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा करने पर मेरे ऊपर नोटिस सर्व समझी जायेगी।
5. मैं अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट हर 15 पर दिन कार्यालय को प्राप्त कराता रहूंगा।
6. मौका देखकर मैं टेण्डर दे रहा हूँ।

हस्ताक्षर गवाह

हस्ताक्षर ठीकेदार